an>

Title: Need to withdraw the decision declaring the region from Uttarkashi to Gomukh as an eco-sensitive zone.

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल) ः मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा उत्तरकाशी से गोमुख तक 135 किलोमीटर के भागीरथी नदी क्षेत्र को पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ईको सैंसेटिव जोन घोषित करने के कारण जनता में भारी आक्रोश है क्योंकि उत्तराखण्ड में पूर्व से ही वन संरक्षण अधिनियम लागू होने के 10 वर्ष पूर्व स्वीकृत सड़कें वन भूमि की स्वीकृति न मिलने के कारण लंबित हैं। अब ईको सैंसेटिव जोन घोषित होने के कारण इस क्षेत्र में पड़ने वाली 88 ग्राम पंचायतें पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। इसके कारण स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है। सीमान्त क्षेत्र में चीन एवं तिब्बत की सीमाएं लगी हुई हैं। सेना की अग्रिम चौकियां हैं। यहां सैनिकों को खाद्यान्न सामग्री पहुंचानी होती है। इसके कारण निर्माण कार्य प्रभावित होंगे तथा सीमांत क्षेत्रों में हाइड्रो प्रोजेक्ट, मकानों के लिए पत्थर निकालना, बजरी-रेत निकालना, लकड़ी से संबंधित उद्योग मकान, भवन, ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली सड़कें, पुल, बिजली के खम्बे डालना, सिंचाई एवं पेयजल योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इन क्षेत्रों के विकास कार्य प्रभावित होने से क्षेत्र के लोग लगातार पलायन कर रहे हैं।

अतः मेरा माननीय पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध है कि उत्तराखण्ड के सीमांत क्षेत्र की समस्याओं एवं जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ईको सैंसेटिव जोन को निरस्त करने की कृपा करें।